

वन नेशन वन राशन कार्ड

प्रलिमिंस के लिये:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उचित मूल्य की दुकान, प्रवासी श्रमिक, आत्मनिर्भर भारत।

मेन्स के लिये:

वन नेशन वन राशन कार्ड, महत्त्व और चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

असम [वन नेशन वन राशन कार्ड](#) (ONORC) को लागू करने वाला 36वाँ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है।

- इसके साथ ही ONORC कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा नशिक्षित हुई है।
- ONORC योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये सरकार ने 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है। मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी रीयल-टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है।
- कोवडि-19 महामारी के पछिले दो वर्षों के दौरान, ONORC योजना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों वशिष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रधियती खाद्यान्न सुनशिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

ONORC:

परचिय:

- ONORC योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लागू की जा रही है।
- इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Migratory National Food Security Act- NFSA), 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के कसिी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop- FPS) से अपने हसिसे के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं।
- यह प्रणाली उनके परिवार के सदस्यों को घर पर यदा कोई हो तो उसे राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का दावा करने की अनुमतदितेी है।
- ONORC का कार्यान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था।

उददेश्य:

- सभी NFSA लाभार्थियों को उनके मौजूदा राशन कार्डों की सुवाह्यता के माध्यम से देश में कहीं भी उनकी खाद्य सुरक्षा के लिये आत्मनिर्भर बनने हेतु सशक्त बनाना।
- उनकी पसंद के कसिी भी उचित मूल्य की दुकान से उनके हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न (आंशिक या पूर्ण) को नरिबाध रूप से उठाना।
- परिवार के सदस्यों को अपनी पसंद के उचित दर दुकान से अपने मूल स्थान/कसिी भी स्थान पर उसी राशन कार्ड पर शेष/आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाना।

ONORC का महत्त्व:

- **भोजन के अधिकार को सक्षम करना:** पूर्व में राशन कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की अपनी पात्रता का लाभ केवल संबंधित राज्य के अंदर नरिदषिट उचित मूल्य की दुकान (FPS) से ही प्राप्त कर सकते थे।
 - यदा कोई लाभार्थी कसिी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता है तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिये आवेदन करना होता है।
 - ONORC सामाजिक न्याय के लिये इस भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की परकिलपना करता है।
- **आबादी के लगभग एक-तहाई भाग का समर्थन:** देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। इसलिये यह योजना उन सभी लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण है जो रोजगार आदिकारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं।

- **रसाव कम करना:** ONORC रसाव या लीकेज को कम कर सकता है क्योंकि इस योजना की पूरव शरत नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों की पहचान करना या डी-डुप्लीकेशन है।
 - इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति देश के दो अलग-अलग स्थानों में लाभार्थी के रूप में चहिनति नहीं है।
 - इसके अलावा, यह योजना आधार और बायोमेट्रिक्स से लकिड है जो भ्रष्टाचार की अधिकांश संभावनाओं को दूर करती है और पारदर्शिता लाती है।
- **सामाजिक भेदभाव को कम करना:** ONORC महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिये विशेष रूप से लाभप्रद होगा क्योंकि PDS तक पहुँच प्रदान करने में सामाजिक पहचान (जाति, वर्ग और लिंग) और अन्य परासंगिक घटकों (शक्ति संबंधों सहित) को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है।

संबद्ध चुनौतियाँ:

- **अपवर्जन त्रुटि:** आधार से लकिड राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इस PDS प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को लीकेज कम करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ाया गया है। हालाँकि आधार-सीडिंग के बाद अपवर्जन त्रुटियों (Exclusion Error) में वृद्धि हुई है।
 - समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है और इस कारण वे खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं।
- **अधवास-आधारित सामाजिक क्षेत्र योजनाएँ:** न केवल PDS बल्कि निरिधनता उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, कल्याण और खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिकांश योजनाएँ ऐतहासिक रूप से अधवास-आधारित पहुँच पर आधारित रही हैं और सरकारी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और खाद्य अधिकारों तक लोगों की पहुँच को उनके मूल स्थान या अधवास स्थान तक के लिये सीमति रखती हैं।
- **FPS पर आपूर्ति बाधित करना:** किसी FPS को प्राप्त उत्पादों का मासिक कोटा कठोरता से उससे संबद्ध लोगों की संख्या के अनुसार सीमति रखा गया है।
 - ONORC जब पूर्णरूपेण कार्यान्वित होगा तब इस अभ्यास को समाप्त कर देगा क्योंकि कुछ FPS को नए लोगों के आगमन के कारण अधिक संख्या में कार्डधारकों को सेवा देनी होगी जबकि कुछ अन्य FPS लोगों के पलायन के कारण निरिधारित कोटे से कम लोगों को सेवा देंगे।

योजना का अब तक का प्रदर्शन:

- यह देश में अपनी तरह का एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे अगस्त 2019 में शुरू किया जाने के बाद, लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए कम समय में तेजी से लागू किया गया है।
- वर्ष 2019 के बाद से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की खाद्यान्न पहुँचाने के लिये लगभग 71 करोड़ रुपए का पोर्टेबल लेन-देन हुआ है।
- वर्तमान में लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल मासिक औसत लेन-देन दर्ज किया जा रहा है, लाभार्थियों को किसी भी स्थान पर लचीलेपन के साथ सब्सिडी वाले NFSA और मुफ्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

आगे की राह:

- यदापि स्थिति में राशन की दुकानों पर आपूर्ति बाधित होती है, तो कमजोर समूहों को खाद्यान्न पहुँचाने के लिये वैकल्पिक वितरण चैनलों पर विचार किया जा सकता है।
- खाद्य सुरक्षा को पोषण सुरक्षा के व्यापक ढाँचे से देखा जाना चाहिये। इसलिये ONOPC को [समेकित बाल विकास योजनाओं](#), [मध्याह्न भोजन](#), टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देनी चाहिये।
- लंबे समय में **PDS प्रणाली को फुल-प्रूफ फूड कूपन सिस्टम** या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रतस्थापित किया जा सकता है।
 - वही गरीबी रेखा से नीचे का परिवार किसी भी करिना स्टोर से बाजार मूल्य पर चावल, दाल, चीनी और तेल कूपन के माध्यम से या नकद द्वारा पूरी तरह से भुगतान करके खरीद सकता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किये जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लक्ष्मि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को स्थापित किया गया है। 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदलाव को चिह्नित किया।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की मुख्य विशेषताएँ**
 - 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को TPDS के तहत प्रतिमाह 5 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति की समान पात्रता के साथ कवर किया जाएगा।
 - गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और मध्याह्न भोजन (MDM) योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिये उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किये गए हैं।
 - गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ भी कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ पाने की हकदार होंगी।
 - NFSA के कार्यान्वयन से पहले राज्य सरकारों द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते थे जैसे कि गरीबी रेखा से ऊपर (APL), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड अलग-अलग रंगों से अलग होते हैं। **NFSA, 2013 के अनुसार, APL और BPL समूहों को दो श्रेणियों में फरि से वर्गीकृत किया गया है - गैर-प्राथमिकता और प्राथमिकता। अतः कथन 1 सही नहीं है।**
 - राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की **18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को घर की मुखिया होना चाहिये। अतः कथन 2 सही है।**
 - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा और प्रतिदिन 18-20 ग्राम प्रोटीन के पूरक आहार के रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड और/या एनर्जी डेंस फूड के रूप में राशन प्राप्त करने की हकदार हैं। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/one-nation-one-ration-card-5>

